न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या : 12/74/2025 GCMS No. 2025/241

दर्ज दिनांक : 02-05-2025

निर्णय दिनांक : 20/5/2026

हारून पुत्र मुकरा, जाति मेव, निवासी शेखपुर, तहसील किशनगढ़बास, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—अपीलार्थी—

बनाम

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, किशनगढ़बास, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—प्रत्यर्थी—

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.04.2025

प्रकरण : राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का कोलगांव बनाम हारून

अंतर्गत : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, किशनगढ़बास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सरकारी भूमि, आराजी खसरा संख्या 930, किस्म गैरमुमकिन नाला, कुल रकबा 9.10 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमणकारी मानते हुए बेदखली, आर्थिक दण्ड तथा कारावास संबंधी आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने नाला भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि उसका कब्जा अपनी खातेदारी भूमि पर था। उसका यह भी कहना है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था, परंतु उसके प्रतिवाद तथा वास्तविक स्थिति पर समुचित विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि यदि वास्तव में उसका कब्जा सरकारी नाला भूमि पर पाया जाता है, तो वह कब्जा छोड़ने को तैयार है।

मैंने अपील पत्र, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि प्रारम्भिक स्तर पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण कार्यवाही बिना किसी आधार के प्रारम्भ हुई थी। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही आरम्भ करना प्रथम दृष्टया असंगत नहीं माना जा सकता।

धारा 91 के अंतर्गत यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो प्राथमिक उद्देश्य भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराना होता है। दण्डात्मक परिणाम, विशेषकर कारावास एवं गिरफ्तारी जैसे परिणाम, तभी उचित होते हैं जब अतिक्रमण का तथ्य स्पष्ट, वर्तमान और हठपूर्वक अवज्ञा के साथ स्थापित हो।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा मौके की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील **खारिज** की जानी उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का वह भाग, जो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित है, संशोधित रूप में कायम रखा जाना उचित है।

आदेश

1. अपीलार्थी **हारून पुत्र मुकरा, जाति मेव, निवासी शेखपुर, तहसील किशनगढ़बास, जिला खैरथल-तिजारा** द्वारा प्रस्तुत अपील **खारिज** की जाती है।
2. न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, किशनगढ़बास द्वारा पारित निर्णय दिनांक **16.04.2025** यथावत रखा जाता है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, विवादित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में, यथावत रखा जाता है।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि अपीलार्थी द्वारा पुनः सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया जाता है, तो सक्षम अधिकारी विधि अनुसार नवीन कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार, किशनगढ़बास को आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

आदेश आज दिनांक 20/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल [illegible])
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)
जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)